मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांकः एफ 11-3 /2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक27मार्च, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की घोषणा के लिये निर्धारित मापदण्ड ।

—◆—

कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अन्तर्गत संचालित प्रणाली में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा देयकों को कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार कर ऑन लाईन कोषालय में प्रस्तुत किया जा रहा है । अभिलेखों का संधारण एवं भुगतान अब इलेक्ट्रानिक माध्यमों से किया जा रहा है । परिणामतः एक ओर जहाँ देयक तैयार करने में लगने वाले समय, त्रुटियों, मानवीय गणना कार्य, श्रम में कमी आई है वहीं दूसरी ओर आहरण अधिकारी कार्यालयों की कोषालय, उप कोषालय से दूरी भी महत्वहीन हो गई है । अतः आहरण एवं संवितरण के लिये विकेन्द्रित व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रह गई है ।

2/ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (IFMIS) परियोजना में वित्तीय, पेंशन एवं कर्मचारी स्थापना संबंधी प्रत्येक गतिविधियाँ कम्प्यूटरीकृत एवं ऑन लाईन हो रही है । अतः इलेक्ट्रानिक प्रणाली के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आहरण अधिकारियों के कार्यालयों में अधिक दक्षता एवं कार्यकुशलता की अपेक्षा होगी ।

3/ उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आहरण संवितरण अधिकारियों की वर्तमान संख्या को कम किया जाना व्यवहार्य हो गया है । अतः निम्नांकित मानकों के आधार पर कृपया परीक्षण कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वर्तमान संख्या का युक्तियुक्तकरण करें :-

1. जिला स्तर का जिला मुख्यालय पर स्थित केवल एक मात्र कार्यालय हो या जिसे विभाग द्वारा जिले के लिए नोडल कार्यालय घोषित किया गया हो ।

2. वेतन भत्तों के अतिरिक्त प्रतिमाह कम से कम 25 देयक अथवा वार्षिक 300 देयक औसतन आहरित किये जाते हों ।

3. कार्यालय संभाग स्तरीय या राज्य स्तरीय कार्यालय हो ।

4. कार्यालय किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये स्थापित किया गया हो । जैसे प्रशिक्षण के लिये आवासीय परिसर ।

5. निर्माण विभाग/वन विभाग का संभागीय कार्यालय हो ।

6. वेतन भत्तों को छोड़कर शेष देयकों से मासिक आहरण ₹ 50 लाख से कम न हो ।

युक्तियुक्तकरण का कार्य आयुक्त कोष एवं लेखा के परामर्श से दिनांक 30-4-2017 तक पूर्ण किया जाए ।

4/ मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1, 2012 के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख को दिये गये वित्तीय अधिकारों का उपयोग केवल उन्हीं कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाएगा जिनके कार्यालय को आहरण एवं संवितरण की प्राधिकारिता होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांकः एफ 11-3 /2017/नियम/चार
भोपाल,दिनांक27मार्च, 2017

प्रतिलिपि,

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय/आडिट) मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. प्रमुख रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलुपर ।
4. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग